फाइल सं. ए.12018/58/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में प्रक्षेपक सह केमरामेन समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में प्रक्षेपक सह केमरामेन समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 01/12/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 01/12/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि............ - राष्ट्रपति, दिनांक 31 मार्च, 1986 को भारत के राज पत्र के भाग-।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में (समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 के अधिक्रमण में, जहां तक प्रक्षेपक सह केमरामेन के पद का संबंध है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में प्रक्षेपक सह केमरामेन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा प्रक्षेपक सह केमरामेन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शाक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रक्षेपक सह केमरामेन	*01(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-5, (29200 - 92300)रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 साल* * यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलें में पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश	(1)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण अथवा समान अर्हता (2)16 एमएम और 35 एमएम प्रोजेक्टर और अन्य संबंधित उपक्रम जैसे टेप रिकार्डर आदि प्रचालित करने में सक्षम होना चाहिए। (3)35 एमएम प्रोफेसनल उपक्रम के लिए विशेष रूप से सिनेमा प्रोजेक्टर चलाने का लाइसेंस होना चाहिए फिल्म प्रेक्षपण और सहायक उपक्रम में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टिप्पण 1: पूर्ण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यार्थियों के मामले में योग्यता में छूट, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जाती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम

					अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	100% सीधी भर्ती नोट: 1 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए प्रनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में दूर होने के कारण रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों के	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।

		बीच से प्रतिनियुक्ति का आधार भरा जाएगा नियमित आधार पर वेतन मेट्रिक्स के स्तर - 1 में अनुरूप पद और सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाले ।		1. निदेशक, क्षेत्रीय क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर -अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर -सदस्य ।	

फा.सं. ए.12018/58/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार